



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1680 / SEIAA/2022

Date: 23/9/22

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),
अनुसंधान एवं विकास विंग,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र.) - 462016(म.प्र.)

विषय: प्रकरण क्रमांक 8625/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स के. जी. डेवलपर्स, अधिकृत व्यक्ति, श्री आशीष खार्या, निवासी सी-99, न्यू मिनाल रेसीडेंसी, जे.के. रोड़, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 6.0 हेक्टेयर, खसरा 164, ग्राम चोलना, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 738वीं बैठक दिनांक 28.07.2022 के निर्णय उपरांत SEIAA की 747वीं बैठक दिनांक 14.09.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 585वीं बैठक दिनांक 13.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

".....राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 585वीं बैठक दिनांक 13.07.2022 में उक्त प्रकरण में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है। अतः समिति की अनुशंसा है कि इस प्रकरण को उपरोक्त आधार पर नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 585वीं बैठक दिनांक 13.07.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक के ई.मेल. दिनांक 08.09.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर अग्रेषित है।

o/c (श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1681 /SEIAA/2022

दिनांक - 23/9/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
10. परियोजना प्रस्तावक मेसर्स के.जी. डेवलपर्स, अधिकृत व्यक्ति, श्री आशीष खार्या, निवासी सी.-99, न्यू मिनाल रेसीडेंसी, जे.के. रोड़, जिला भोपाल (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।

o/c (अलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी